



**AVIVA**  
| Life Insurance |

INDIA  
PARTNER

Dabur  
GROUP



अवीवा  
कॉर्पोरेट शील्ड प्लस  
प्रमुख विशेषताएं

उत्पाद UIN: 122N066V04

## एक कर्मचारी अवधि बीमा योजना

अवीवा कॉर्पोरेट शील्ड प्लस एक सुरक्षा उन्मुख, गैर-संबंद्ध, गैर-भागीदारी वाला एक वर्षीय नवीकरणीय समूह अवधि बीमा योजना है जो कर्मचारी जमा लिंक से जुड़ी बीमा के बदले लाभ प्रदान करता है, जो कॉर्पोरेट के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वह अपने कर्मचारियों को मृत्यु के जोखिम के खिलाफ बीमा कवर प्रदान कर सके।

### इसके लक्ष्य हैं

- संगठन के एक कर्मचारी की मौत के कारण उत्पन्न होने वाले वित्तीय नुकसान के लिए परिवार के सदस्यों/आश्रितों की जरूरतों को पूरा करने के लिए।
- न्यूनतम औपचारिकताओं के साथ और किसी भी चिकित्सा परीक्षण के बिना सुरक्षा प्रदान करने के लिए।

### मास्टर पॉलिसीधारक कौन है?

नियोक्ता (यानी कॉर्पोरेट) मास्टर पॉलिसीधारक होगा।

### एक योग्य सदस्य कौन है?

- कोई भी व्यक्ति, जो एक कॉर्पोरेट का स्थायी कर्मचारी है जिसका पीएफ काटा जा रहा है और 18 वर्ष और 74 वर्ष की उम्र के आयु वर्ग के सदस्य हैं, एक योग्य सदस्य है। इस योजना के तहत, केवल उन कॉर्पोरेटों को लक्षित किया जाएगा जो कर्मचारी के वेतन से भविष्य निधि काटते हैं।
- कर्मचारियों के अनुसार भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अनुसार, नियोक्ता के पास केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) से पूर्व अनुमोदन के साथ वैकल्पिक ईएलडीआई योजना लेने का विकल्प होता है। यह उत्पाद ईडीएलआई के बदले जीवन बीमा कवर खरीदने के लिए वैकल्पिक विकल्प प्रदान करता है।

### न्यूनतम समूह आकार क्या है?

एक योजना में न्यूनतम लोगों की संख्या 20 होना चाहिए।

### इस योजना में न्यूनतम और अधिकतम प्रवेश आयु क्या है?

न्यूनतम प्रवेश आयु 18 वर्ष है और अधिकतम प्रवेश आयु 74 वर्ष है। इस उत्पाद के तहत अधिकतम परिपक्वता आयु 75 वर्ष है।

### प्रति सदस्य न्यूनतम और अधिकतम बीमा राशि क्या है

न्यूनतम बीमा राशि प्रति सदस्य ₹3,60,000 है और अधिकतम बीमा राशि प्रति सदस्य ₹10,00,000 है।

### प्रीमियम कैसे निर्धारित किया जाता है?

- देय प्रीमियम विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है— समूह का आकार, सदस्यों का आयु वितरण, उनके व्यवसाय, समूह के पिछले मृत्यु दर, व्यक्तिगत सदस्यों के लिए बीमा राशि आदि। कर सहित लेकिन सेवा कर लागू नहीं है। लागू होने वाले सेस को समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने पर भी लगाया जाएगा। कर कानून बदल सकते हैं।
- न्यूनतम प्रीमियम प्रति योजना 15,000 रुपये है।

### किस आवृत्ति पर प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है?

- प्रीमियम विकल्प सालाना, अर्ध-वार्षिक, त्रैमासिक या मासिक होता है।
- अर्ध-वार्षिक त्रैमासिक या मासिक आवृत्ति के लिए प्रीमियम की गणना निम्नलिखित प्रीमियम भुगतान आवृत्ति कारकों के साथ वार्षिक प्रीमियम गुणा करके की जाएगी:

प्रीमियम भुगतान आवृत्ति	कारक
अर्द्ध वार्षिक	0.5108
त्रिमाही	0.2591
मासिक	0.0871

- मासिक, त्रैमासिक और अर्ध वार्षिक प्रीमियम मोड वाली नीतियों को प्रीमियम के भुगतान के लिए 30 दिनों की छूट अवधि दी जाती है।

- अगर प्रीमियम अवधि के भीतर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी बिना किसी मूल्य के समाप्त हो जाएगी। एक लापता पॉलिसी बहाल नहीं की जा सकती है।

## पॉलिसी की अवधि क्या होगी?

पॉलिसी हर साल नियम और शर्तों के अधीन नवीनीकरणीय है।

## नवीनीकरण/पुनर्स्थापना प्रक्रिया क्या है?

चूंकि इस उत्पाद के तहत लाभ एक वैद्यानिक आवश्यकता है, इसलिए पॉलिसी बिना किसी अवरोध के चलनी चाहिए। पॉलिसी वर्ष के अंत से पहले मास्टर पॉलिसीधारक द्वारा नीति को नवीनीकृत किया जाना चाहिए। पॉलिसी नवीनीकरण तिथि पर या उससे पहले नवीनीकरण प्रीमियम प्राप्त नहीं होने पर पॉलिसी बंद हो जाएगी।

## क्या कोई वैकल्पिक सवार लाभ है?

- हाँ, आप समूह डबल दुर्घटना लाभ (DAB) राइडर (UIN: 122B006V02) का लाभ उठा सकते हैं। यह राइडर योजना स्तर पर उपलब्ध है। इसका मतलब है कि यदि कोई मास्टर पॉलिसीधारक राइडर को चुनता है तो यह योजना में शामिल सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य हो जाता है।
- अधिकतम प्रवेश आयु 60 वर्ष है और अधिकतम परिपक्वता आयु डीएबी राइडर के लिए 61 वर्ष है।

## किसी सदस्य की मृत्यु पर देय राशि क्या है?

एक व्यक्तिगत सदस्य की मौत पर, लागू बीमा राशि सदस्य के नामित व्यक्ति को देय होगी।

## किसी सदस्य की परिपक्वता/आत्मसमर्पण पर देय राशि क्या है?

यह एक शुद्ध शब्द उत्पाद है, कोई आत्मसमर्पण या परिपक्वता लाभ देय नहीं है।

## समूह डीएबी राइडर का चयन करने पर आकस्मिक मौत पर देय राशि क्या है?

आकस्मिक मौत की स्थिति में हम समूह डीएबी राइडर राशि के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान करेंगे।

## सदस्य की मृत्यु पर दावा प्रक्रिया क्या है?

नियोक्ता को हमें दावे के कागजात के साथ सदस्य का मौत प्रमाणपत्र प्रदान करने की आवश्यकता होगी और हम पॉलिसी और नियमों के लागू नियमों और शर्तों के अनुसार दावे को व्यवस्थित करेंगे।

## कर फायदे क्या हैं?

- आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा अनुमत भुगतान के वर्ष में नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम को कर के उद्देश्य के लिए खर्च के रूप में माना जा सकता है। कर कानून बदल सकते हैं।
- मौजूदा कर कानूनों के अनुसार कर लाभ परिवर्तन के अधीन हैं।

## मास्टर पॉलिसीधारक से कौन सी जानकारी की आवश्यकता होगी?

- हमें योग्यता सदस्यों की एक सूची की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ उनकी उम्र, लिंग, व्यवसाय, पदनाम, वेतन, बीमा राशि इत्यादि। इस जानकारी की शुरुआत उसके बाद और आवधिक अंतराल पर आवश्यक होगी।
- पॉलिसी वर्ष के दौरान योजना में शामिल होने/छोड़ने वाले किसी भी सदस्य के बारे में नियमित जानकारी।

## अग्रिम जानकारी

### फ्रीलुक अवधि

आपको पॉलिसी नियमों और शर्तों की समीक्षा करने और पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर अपनी पॉलिसी रद्द करने का अधिकार है। यदि आप अपनी पॉलिसी रद्द करते हैं, तो आपके द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम को कवर और स्टैम्प छूटी शुल्कों की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम के समायोजन के बाद धनवापसी की जाएगी।

### स्वीकृति

हम जोखिम की स्वीकृति और प्रीमियम की प्राप्ति तक उत्तरदायी नहीं होंगे।

## क्यों करें अवीवा के साथ निवेश

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड, डाबर इंवेस्टमेंट कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम है, जो यूके स्थित बीमा समूह है, जिसका भारत के साथ संबंध 1834 तक जाता है। अवीवा जीवन बीमा चुनकर आपको एक के प्रबंधन अनुभव से लाभ होता है दुनिया का सबसे पुराना बीमा समूह, 1696 से पहले के इतिहास के साथ। आज, अवीवा समूह के 16 देशों में 31 मिलियन ग्राहक हैं (मार्च 2015 तक)।

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41 और 45, समय समय पर संशोधित

## धारा 41

(1) कोई भी व्यक्ति सीधे या परोक्ष रूप से, किसी भी व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संबंध में बीमा लेने या नवीनीकृत करने या जारी रखने की अनुमति देने की अनुमति नहीं देगा, किसी भी छूट देय कमीशन का पूरा या हिस्सा पॉलिसी पर दिखाए गए प्रीमियम का कोई भी छूट, और न ही किसी भी व्यक्ति को पॉलिसी लेने या नवीनीकृत करने या जारी रखने के लिए किसी भी छूट को स्वीकार किया जाएगा, इस तरह के छूट को छोड़कर प्रकाशित प्रॉस्पेक्टस या टेबल के अनुसार अनुमति दी जा सकती है बीमाकर्ता:

बशर्ते कि जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में कमीशन के बीमा एजेंट द्वारा स्वीकृति दी गई हो अपने जीवन पर खुद को समझा नहीं जाएगा, इस उपयारा के समय प्रीमियम के छूट के स्वीकृति के लिए यदि इस तरह की स्वीकृति के समय बीमा एजेंट निर्धारित शर्तों को पूरा करता है कि वह बीमाकर्ता द्वारा नियोजित एक पूर्ण बीमा एजेंट है।

(2) इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने में कोई भी व्यक्ति डिफॉल्ट रूप से दंडनीय होगा जो दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

## धारा 45

समय—समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के अनुसार तीन वर्षों के बाद गलतफहमी के आधार पर नीति पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए।

### पूछताछ और शिकायतः

अगर आप अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं या यदि आपके पास कोई प्रश्न या शिकायत है, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें:

अधिक जानकारी के लिए, 1800 180 2244 पर कॉल करें (बीएसएनएल / एमटीएनएल उपयोगकर्ताओं के लिए टोल-फ्री)  
या 0124-2709046 या SMS "Aviva" to 5676737, वेबसाइट: [www.avivaindia.com](http://www.avivaindia.com)



## डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त उद्यम

### अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड (IRDA पंजीकरण संख्या 122)

**मुख्य कार्यालय:** अवीवा टावर, सेक्टर रोड, गोल्फ कोर्स के सामने, डीएलएफ फेज-V, सेक्टर 43, गुडगाँव-122 003, हरियाणा, भारत।  
वेबसाइट: [www.avivaindia.com](http://www.avivaindia.com)

**पंजीकृत कार्यालय:** द्वितीय मंजिल, प्रकाशदीप बिल्डिंग, 7, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110 001, भारत

MKT/May 2016/Ver. 1.2

ऊपर प्रदर्शित ट्रेड लोगो अवीवा ब्रॉन्ड्स लिमिटेड का है और अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड लाइसेंस के तहत इसका उपयोग करती है। लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड (IRDA पंजीकरण संख्या 122), पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय मंजिल, प्रकाशदीप बिल्डिंग, 7, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110 001, भारत। कृपया ध्यान दें कि मूल आधार दस्तावेज अंग्रेजी में है और इसके संदर्भ में आपकी आसानी के लिए स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है। अनुवाद के कारण उत्पन्न होने वाली विविध व्याख्या के मामले में अंग्रेजी संस्करण हर समय स्थानीय भाषा का अधिग्रहण करेगा। निगम पहचान संख्या (CIN): U66010DL2000PLC107880। ई-मेल: [customerservices@avivaindia.com](mailto:customerservices@avivaindia.com). फँक्स: 0124-2701213. वेबसाइट: [www.avivaindia.com](http://www.avivaindia.com). कर संबंधी लाभ वर्तमान कानूनों के अनुसार लागू जो बदल सकते हैं। UIN: 122N066V04, Advt. No.: Jul 05/17.

फर्जी फोन कॉल और जाली/ठगी के ऑफर्स से सावधान: IRDA की सर्वजनिक घोषणा: • IRDA या इसके अधिकारी किसी प्रकार के बीमा या फाइनैशियल प्रोडक्ट की बिक्री या फिर प्रीमियम इन्वेस्टमेंट जैसे कार्य नहीं करते हैं। • IRDA किसी बोनस की घोषणा नहीं करता है। ऐसे फोन कॉल आने पर फोन नंबर के साथ कॉल विवरण सहित पुलिस में ज़रूर शिकायत करें।